

सर्वोच्च प्राथमिकता

पत्र संख्या- स्था-6 सामान्य(कम्प्यू) //2024-25//

5131 // राज्य कर
कार्यालय- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 23 जनवरी/2025

1- समस्त जोनल अपर आयुक्त (गौतम बुद्धनगर जोन- नोएडा को छोड़कर)

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2-अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान),

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रमुख सचिव राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को समीक्षा बैठक की जाती है। बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देश दिया गया है कि अराजपत्रित कार्मिकों के निलम्बन / विभागीय कार्यवाही के प्रकरणों में आख्या प्राप्त करते हुए कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायें।

यह भी उल्लेखनीय है कि आपके जोन में निलम्बन / विभागीय कार्यवाही जो भी प्रकरण लम्बित है। उनके अद्यतन स्थिति की सूचना सम्भागों से संकलित करते हुए निम्न प्रारूप में भरकर तत्काल / आज ही ई-मेल-cta3comhqju-up@nic.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ससमय से सूचना प्राप्त न होने की दशा में पूर्व की सूचना ही आपके जोन की अद्यतन स्थिति समझी जायेगी।

प्रारूप

क्र०स०	नाम आई०डी० व पदनाम (विभागीय कार्यवाही प्रचलित कार्मिक का)	विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की दिनांक	निलम्बित है अथवा नहीं	जांच अधिकारी का नाम व पदनाम	आरोप पत्र जारी करने का दिनांक	अपचारी कार्मिक द्वारा उत्तर प्रेषित करने का दिनांक	जांच अधिकारी द्वारा सुनवाई करने की तिथि	जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या प्रेषित करने की तिथि	अपचारी कार्मिक से अभ्यावेदन मांगने की तिथि	अपचारी कार्मिक द्वारा अभ्यावेदन प्रेषित करने की तिथि	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,

प्रभार- अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
o/c उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर आयुक्त, राज्य कर गौतम बुद्धनगर, जोन -नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2.संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त, राज्य कर,

प्रभार- अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
o/c उत्तर प्रदेश, लखनऊ।